

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act in India has seen significant evolution through various amendments and, crucially, through landmark judgments by the Supreme Court and High Courts. These judgments have shaped the interpretation and implementation of the Act, emphasizing the welfare and rehabilitation of children.

25 landmark judgments related to the Juvenile Justice Act, highlighting key principles and their impact:

1. **Sheela Barse v. Union of India (1986 AIR 1773)**: This was a crucial Public Interest Litigation (PIL) that highlighted the plight of children detained in jails. The Supreme Court issued directions for their release, emphasizing that children should not be lodged in adult prisons.
2. **Sheela Barse v. Union of India (1986 SCALE (2) 230)**: In a follow-up to the above, the Court provided further directions regarding investigation and trial timelines for juvenile cases, urging the establishment of remand and observation homes.
3. **Pratap Singh v. State of Jharkhand & Anr. (2005)**: This judgment clarified that the juvenility of a person in conflict with the law must be determined from the **date of the offense** and not the date of apprehension or when cognizance was taken by the Magistrate.
4. **Hari Ram v. State of Rajasthan & Anr. (2009 SCC 13 211)**: This case dealt with the retrospective application of the Juvenile Justice Act, 2000 (which raised the age of juvenility for males from 16 to 18). The Court held that the 2000 Act would apply to all persons who were below 18 years on the date of the offense, even if the claim of juvenility was raised after they attained majority.
5. **Jitendra Singh @ Babboo Singh & Anr. v. State of U.P. (Criminal Appeal No. 763 of 2003)**: The Supreme Court emphasized that the claim of juvenility can be raised at **any stage** of the proceedings, even after final disposal of the case, and a technical plea like delay in raising the claim should not defeat a beneficial legislation like the JJ Act.
6. **Abuzar Hossain @ Gulam Hossain v. State of West Bengal (2012)**: Reaffirmed the principle that the plea of juvenility can be raised at any stage of the trial, even after the disposal of the case, and a hyper-technical approach should not be taken in rejecting such claims.
7. **Jarnail Singh v. State of Haryana (2013)**: This judgment provided clarity on the process of age determination, emphasizing the reliance on Rule 12 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007, for determining a child's age, both for offenders and victims.
8. **Salil Bali v. Union of India & Anr. (2013)**: This case arose in the aftermath of the Nirbhaya case, where there was a public demand to reduce the age of juvenility for heinous crimes. The Supreme Court, however, upheld the age of juvenility at 18 years as defined in the JJ Act, 2000, and reiterated the rehabilitative focus of the Act.
9. **Shabnam Hashmi v. Union of India & Ors. (2014)**: This landmark judgment affirmed the right of a person to adopt a child under the Juvenile Justice Act irrespective of their religion, paving the way for secular adoption in India.

10. **Dr. Subramanian Swamy & Ors. v. Raju Thr. Member Juvenile Justice Board & Anr. (2014):** This case further deliberated on the issue of trying juveniles for heinous crimes. The Court clarified that the provisions of the JJ Act, 2000, were comprehensive and did not require "reading down" to allow trial as adults. This paved the way for the 2015 amendment.
11. **Sampurna Behura v. Union of India & Ors. (2016):** This judgment issued comprehensive directions to States and Union Territories for effective implementation of the Juvenile Justice Act, including filling vacancies in Juvenile Justice Boards (JJBs) and Child Welfare Committees (CWCs), setting up special police units, and ensuring proper infrastructure for child care institutions.
12. **Parag Bhati (Juvenile) through Legal Guardian – Smt. Rajni Bhati v. State of Uttar Pradesh & Anr. (2016):** Emphasized that the documents proving juvenility, when submitted as evidence, are conclusive proof of the accused's age, and an inquiry for age determination can be initiated only if there is doubt.
13. **Om Prakash v. State of Uttarakhand (2025 - recently highlighted for its legacy):** While the judgment itself might be from an earlier date, its legacy, as recently discussed, emphasizes the retrospective applicability of juvenile laws and their rehabilitative nature. It affirmed the evidentiary value of school certificates and ossification tests in determining juvenility and broadly interpreted Section 9(2) of the JJ Act, 2015, allowing juvenility claims to be raised at any stage, even post-conviction.
14. **Child in Conflict with Law (CCL) through his mother v. State of Karnataka (2024):** This recent Supreme Court judgment clarified that the terms 'Children's Court' and 'Court of Sessions' in the JJ Act, 2015, are to be read interchangeably, addressing an interpretive gap in the Act regarding appeals and condonation of delay.
15. **Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi (2020):** This judgment addressed the interpretation of "heinous offense" under the JJ Act, 2015. The Court held that an offense prescribing a maximum sentence of more than 7 years but not providing any minimum sentence, or providing a minimum sentence of less than 7 years, cannot be considered a 'heinous offense' under Section 2(33) of the Act.
16. **Monish v. State of U.P. (2023):** This Allahabad High Court judgment reiterated the importance of Section 94 of the JJ Act, 2015, and Rule 54(18)(iv) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016, regarding presumption of age.
17. **Ashwani Kumar Saxena v. State of M.P. (2012):** This case dealt with the procedure for determining juvenility under Section 7A of the JJ Act, 2000, read with Rule 12 of the 2007 Rules, emphasizing the need for proper inquiry.
18. **Arnit Das v. State of Bihar (2000):** This case highlighted the importance of conducting a proper inquiry into the age of the accused when a claim of juvenility is raised, and the right of a juvenile to be sent to a juvenile home.
19. **Nand Kishore (In JC) v. State (2006):** This Delhi High Court case emphasized that once a person is determined to be a juvenile, they are entitled to the protection and benefits of the Juvenile Justice Act.
20. **R. D. Upadhyay v. State of Andhra Pradesh (2006):** While not exclusively on the JJ Act, this case addressed the development of children in jail with their mothers, and made suggestions regarding the arrest of women suspects, impacting child welfare indirectly.

21. **Vishall Jeet v. Union of India (1990):** This earlier Supreme Court judgment issued directions to eradicate child prostitution and establish rehabilitative homes for such children, reflecting a proactive judicial approach to child protection.
22. **Master Rajeev Shankarlal Parmar v. Officer-In-Charge, Police (2003):** The Court directed State Governments to complete investigations in cases involving juveniles for offenses punishable with less than 7 years imprisonment within 3 months, and trials within 6 months, to avoid quashing of prosecution.
23. **Independent Thought v. Union of India and Anr. (2017):** This landmark judgment held that sexual intercourse with a minor (below 18 years) wife is rape, irrespective of marital status, significantly impacting the protection of child brides.
24. **Court on its own motion v. State of Delhi (2007):** This Delhi High Court case examined issues of minors being charged under the Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) and produced before the JJB as juveniles in conflict with law, instead of being treated as children in need of care and protection, highlighting the need for proper categorization and rehabilitation.
25. **Madhab Chandra Pradhan (2024):** This recent Supreme Court judgment, though not exclusively on the JJ Act, clarified that while Special Courts can deploy discretion under Section 33(5), the recall of victims “should not be allowed as a matter of course,” which is relevant in cases involving child victims and ensuring their protection during trial.

These judgments collectively underscore the Indian judiciary's commitment to upholding the rights and welfare of children, promoting a rehabilitative approach, and ensuring that the Juvenile Justice Act serves its benevolent purpose.

किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित 25 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय

भारत में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में विभिन्न संशोधनों और, महत्वपूर्ण रूप से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इन निर्णयों ने अधिनियम की व्याख्या और कार्यान्वयन को नया आकार दिया है, जिसमें बच्चों के कल्याण और पुनर्वास पर जोर दिया गया है।

यहाँ किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित 25 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, जो प्रमुख सिद्धांतों और उनके प्रभाव को उजागर करते हैं:

1. **शीला बारसे बनाम भारत संघ (1986 AIR 1773):** यह एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) थी जिसने जेलों में बंद बच्चों की दुर्दशा को उजागर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई के लिए निर्देश जारी किए, इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को वयस्क जेलों में नहीं रखा जाना चाहिए।
2. **शीला बारसे बनाम भारत संघ (1986 SCALE (2) 230):** उपरोक्त के अनुवर्ती में, न्यायालय ने किशोर मामलों के लिए जांच और मुकदमे की समय-सीमा के संबंध में और निर्देश प्रदान किए, जिसमें रिमांड और अवलोकन गृह स्थापित करने का आग्रह किया गया।
3. **प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2005):** इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले व्यक्ति की किशोरावस्था अपराध की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए, न कि गिरफ्तारी की तारीख से या जब मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था।
4. **हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2009 SCC 13 211):** यह मामला किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (जिसने पुरुषों के लिए किशोरावस्था की आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी थी) के पूर्वव्यापी आवेदन से संबंधित था। न्यायालय ने माना कि 2000 का अधिनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो अपराध की तारीख पर 18 वर्ष से कम थे, भले ही किशोरावस्था का दावा उनके वयस्क होने के बाद उठाया गया हो।
5. **जितेंद्र सिंह @ बबू सिंह और अन्य बनाम यू.पी. राज्य (आपराधिक अपील संख्या 763/2003):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किशोरावस्था का दावा कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, और किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी जैसे तकनीकी बहाने से किशोर न्याय अधिनियम जैसे लाभकारी कानून को विफल नहीं करना चाहिए।
6. **अबूजर हुसैन @ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012):** इस सिद्धांत की पुष्टि की गई कि किशोरावस्था की याचिका मुकदमे के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के निपटान के बाद भी उठाई जा सकती है, और ऐसी याचिकाओं को खारिज करने में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।
7. **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013):** इस निर्णय ने आयु निर्धारण की प्रक्रिया पर स्पष्टता प्रदान की, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 पर निर्भरता पर जोर दिया गया, जो अपराधियों और पीड़ितों दोनों के लिए बच्चे की उम्र निर्धारित करता है।

8. **सलिल बाली बनाम भारत संघ और अन्य (2013):** यह मामला निर्भया मामले के बाद उत्पन्न हुआ था, जहाँ जघन्य अपराधों के लिए किशोरावस्था की आयु कम करने की सार्वजनिक मांग थी। सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में परिभाषित किशोरावस्था की आयु को 18 वर्ष पर बरकरार रखा, और अधिनियम के पुनर्वास-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया।
9. **शबनम हाशमी बनाम भारत संघ और अन्य (2014):** इस ऐतिहासिक निर्णय ने किसी व्यक्ति के अपने धर्म की परवाह किए बिना किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे को गोद लेने के अधिकार की पुष्टि की, जिससे भारत में धर्मनिरपेक्ष गोद लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
10. **डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य बनाम राजू भू. सदस्य किशोर न्याय बोर्ड और अन्य (2014):** इस मामले में जघन्य अपराधों के लिए किशोरों पर मुकदमा चलाने के मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधान व्यापक थे और वयस्कों के रूप में मुकदमे की अनुमति देने के लिए "पठन-पाठन" की आवश्यकता नहीं थी। इसने 2015 के संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया।
11. **संपूर्णा बेहुरा बनाम भारत संघ और अन्य (2016):** इस निर्णय ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक निर्देश जारी किए, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड (JJBs) और बाल कल्याण समितियों (CWCs) में रिक्तियों को भरना, विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना करना और बाल देखभाल संस्थानों के लिए उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना शामिल है।
12. **पराग भाटी (नाबालिग) लीगल गार्जियन - श्रीमती रजनी भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016):** इस बात पर जोर दिया गया कि किशोरावस्था साबित करने वाले दस्तावेज, जब सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अभियुक्त की आयु का निर्णायक प्रमाण होते हैं, और आयु निर्धारण के लिए जांच तभी शुरू की जा सकती है जब संदेह हो।
13. **ओम प्रकाश बनाम उत्तराखंड राज्य (2025 - हाल ही में इसकी विरासत के लिए उजागर):** जबकि निर्णय स्वयं पहले की तारीख का हो सकता है, इसकी विरासत, जैसा कि हाल ही में चर्चा की गई है, किशोर कानूनों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता और उनकी पुनर्वास प्रकृति पर जोर देती है। इसने किशोरावस्था निर्धारित करने में स्कूल प्रमाण पत्रों और अस्थि-भंग परीक्षणों के साक्ष्य मूल्य की पुष्टि की और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9(2) की व्यापक रूप से व्याख्या की, जिससे किशोरावस्था के दावों को किसी भी चरण में, यहां तक कि दोषसिद्धि के बाद भी उठाने की अनुमति मिली।

14. **कानून के साथ संघर्षरत बच्चा (CCL) अपनी मां के माध्यम से बनाम कर्नाटक राज्य (2024):** इस हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक-दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाना चाहिए, जिससे अधिनियम में अपीलों और देरी की माफी के संबंध में एक व्याख्यात्मक कमी को दूर किया जा सके।
15. **शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली सरकार (2020):** इस निर्णय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत "जघन्य अपराध" की व्याख्या को संबोधित किया। न्यायालय ने माना कि एक अपराध जिसमें 7 साल से अधिक की अधिकतम सजा का प्रावधान है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, या 7 साल से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान है, उसे अधिनियम की धारा 2(33) के तहत 'जघन्य अपराध' नहीं माना जा सकता है।
16. **मोनिश बनाम यू.पी. राज्य (2023):** इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 54(18)(iv) के महत्व को दोहराया, जो आयु की धारणा से संबंधित है।
17. **अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम म.प्र. राज्य (2012):** यह मामला किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7ए के तहत किशोरावस्था निर्धारित करने की प्रक्रिया से संबंधित था, जिसे 2007 के नियमों के नियम 12 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें उचित जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
18. **अनीत दास बनाम बिहार राज्य (2000):** इस मामले ने अभियुक्त की आयु की उचित जांच करने के महत्व को उजागर किया जब किशोरावस्था का दावा उठाया जाता है, और एक किशोर को किशोर गृह में भेजे जाने का अधिकार।
19. **नंद किशोर (जेसी में) बनाम राज्य (2006):** इस दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले ने जोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति को किशोर निर्धारित कर लिया जाता है, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के संरक्षण और लाभों का हकदार होता है।
20. **आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):** हालांकि विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम पर नहीं, इस मामले में अपनी माताओं के साथ जेल में बच्चों के विकास को संबोधित किया गया, और महिला संदिग्धों की गिरफ्तारी के संबंध में सुझाव दिए गए, जिससे बाल कल्याण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ।

21. **विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990):** इस पहले के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने बाल वेश्यावृत्ति को खत्म करने और ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास गृह स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए, जो बाल संरक्षण के लिए एक सक्रिय न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
22. **मास्टर राजीव शंकरलाल परमार बनाम अधिकारी-प्रभारी, पुलिस (2003):** न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि किशोरों से जुड़े उन मामलों में जांच 3 महीने के भीतर पूरी की जाए जिनमें 7 साल से कम कारावास की सजा वाले अपराध हैं, और मुकदमे 6 महीने के भीतर निपटाए जाएं, ताकि अभियोजन को रद्द होने से बचाया जा सके।
23. **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ और अन्य (2017):** इस ऐतिहासिक निर्णय ने माना कि एक नाबालिग (18 वर्ष से कम) पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है, वैवाहिक स्थिति के बावजूद, जिससे बाल वधुओं की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
24. **स्वप्रेरणा से न्यायालय बनाम दिल्ली राज्य (2007):** इस दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA) के तहत नाबालिगों पर आरोप लगाए जाने और उन्हें कानून के साथ संघर्षरत किशोरों के रूप में जेजेबी के सामने पेश किए जाने के मुद्दों की जांच की, बजाय इसके कि उन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाए, उचित वर्गीकरण और पुनर्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए।
25. **माधब चंद्र प्रधान (2024):** यह हालिया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, हालांकि विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम पर नहीं है, ने स्पष्ट किया कि जबकि विशेष न्यायालय धारा 33(5) के तहत विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, पीड़ितों को वापस बुलाना "निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए," जो बाल पीड़ितों से जुड़े मामलों में प्रासंगिक है और मुकदमे के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ये निर्णय सामूहिक रूप से बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने, एक पुनर्वास दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम अपने परोपकारी उद्देश्य को पूरा करता है।

